अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः—रू0वि0 / रासेयो / 2026 / 19533-19538 दिनांकः—03.02.2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यकम अधिकारी,
बरेली व मुरादाबाद मण्डल के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2025—26 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र—छात्राओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—03, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—आवं 12 / सत्तर—रा0से0या0को0—2025—21 / 2017, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 एवं इस कार्यालय का पत्राक संख्या रू0वि0 / रासेयो / 2026 / 19397—19402, दिनांक 08.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों की रा0से0यो0 ईकाईयों को सूचित किया जाता है कि वह अपने राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाईयों के स्वयंसेवक—स्वयंसेविकाओं की सूची संलग्न प्रारूप पर एवं प्रति स्वंयसेवक पंजीकरण शुल्क रू0 5 की दर से अर्थात 100 छात्रों का रू0 500/— का बैक ड्राफ्ट, डी0डी0 **(वित्त अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)** के नाम तैयार कर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को दिनांक 17.01.2026 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधिकतर महाविद्यालयों द्वारा उक्त दिनांक तक पंजीकरण नही कराया गया है। यह अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 06.02.2026 तक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिससे की रा0से0यो0 विशेष शिविरों का ससमय आयोजन कर सकें। अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों की रा0से0यो0 ईकाई को विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक), लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन को निरस्त करने एवं भविष्य में इकाई आवंटित न करने की संसुति की जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीय

प्रो0 सोमपाल सिंह
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव के संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने वाले महाविद्यालयों की सूची आपको उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जायेगी।
5. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः—रू0वि0 / रासेयो / 2026 / 19397-19402 दिनांकः—08.01.2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रम अधिकारी,
बरेली व मुरादाबाद मण्डल के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2025—26 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र—छात्राओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—03, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—आवं 12 / सत्तर—रा0से0या0को0—2025—21 / 2017, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों की रा0से0यो0 ईकाईयों को सूचित किया जाता है कि वह अपने राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाईयों के स्वयंसेवक—स्वयंसेविकाओं की सूची संलग्न प्रारूप पर एवं प्रति स्वंयसेवक पंजीकरण शुल्क रू0 5 की दर से अर्थात 100 छात्रों का रू0 500/— का बैक ड्राफ्ट, डी0डी0 **(वित्त अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)** के नाम तैयार कर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को दिनांक 17.01.2026 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटः—जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त दिनांक तक रा0से0यो ईकाईयों के स्वयंसेवक—स्वंयसेविकाओं की सूची संलग्न प्रारूप पर एवं बैंक ड्राफ्ट, डी0डी0 उपलब्ध नही कराया जाता है। तो ऐसे महाविद्यालय की रा0से0यो0 ईकाई को विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक), लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन को निरस्त करने हेतु प्रेषित कर दी जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

भवदीय

प्रो0 सोमपाल सिंह
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव के संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. बेवसाइट प्रभारी को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना